

2

24/2/18
19/1/18
22/3/18

राजस्थान सरकार
शिक्षा(गुन-4) विभाग

क्रमांक: घ. 11 (3) शिक्षा-4/2000घाट

दिनांक: 22 मार्च 2018

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-19 के लिए शुल्क

नेशनल काउन्सिल ऑफ टीचर एजुकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर-अनुयायित शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2018-19 के लिए निम्नानुसार आर्थिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

(रुपयों में)

क्र.सं.	भुगतान	बी.एड. / शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड. / एम. पी.एड.	बी.ए-बी.एड./ बी.एड-एम.एड बी.एन.सी-बी. एड.
1.	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2.	विधि शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3.	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4.	अन्य गतिविधियां*	3600.00	-	-	3600.00
	योग	26880.00	22320.00	22320.00	26880.00

* (क्र.सं. 3 व 4 पर उचित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।)


सामग्रीगत आवश्यकताओं के क्रम संख्या 2 में उचित विधि-शुल्क का भुगतान विद्यार्थी निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	भुगतान	बी.एड. / शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड. / एम. पी.एड.	बी.ए-बी.एड./ बी.एन.सी-बी.एड./ बी.एड-एम.एड.
(A) कार्यालय धन					
1.	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2.	कोशन नसी *	180	180	180	180
3.	प्रमाण-पत्र	24	24	24	24
4.	निवास शुल्क	840	840	840	840
5.	विजली-पानी	840	840	840	840
6.	परीक्षा	300	300	300	300
7.	विधि	60	60	60	60
	योग (A)	2280	2280	2280	2280

(B) छात्र कोष					
1.	खेलकूद	180	180	180	180
2.	पुस्तकालय	540	540	540	540
3.	कला, संगीत एवं संस्कृति	180	180	180	180
4.	भौतिक/रासायनिक प्रयोगशाला	180	180	180	180
5.	सैद्धांतिक तकनीकी	360	360	360	360
6.	कार्यशास्त्र / कार्यानुभव	360	360	360	360
7.	विज्ञान शुल्क	180	180	180	180
8.	आवधिक्य व्यय	180	180	180	180
	योग (B)	2160	2160	2160	2160
	महायोग (A+B)	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
(* आयोजित व्यय के अंश 1 व 2 पर वर्गित मद का शुल्क किसी भी कार्यक्रम में शिर्षक प्रवेश के प्रथम वर्ष में ही देय होगा)					

उपरोक्त शुल्क वार्षिक रूप से देय होगा। पूर्व के वर्षों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को तब 2018-19/आगामी सत्रों के लिए सगत आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क प्रवेश शुल्क व अंश देय करने की राशि को भेजकर, शेष शुल्क सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाया होगा। उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम की राशि पृथक से देय होगी।

शुल्क की राशि जमा करने हेतु प्रवेश समन्वयक व महाविद्यालय/संस्थाएं राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आदेशकों/विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से केंद्रगत विकल्प उपलब्ध करवाएं।


(जी. रा. ए. जी.)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यावाही हेतु :-

1. विशेष सचिव, मानवीय सञ्चय एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई (एनआरसी) जीएमनिति-11, एनआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. फूलसचिव, राजस्थान विरचविद्यालय, जयपुर।
12. फूलसचिव, जयनारायण व्यास विरचविद्यालय, जोधपुर।

13. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
14. कुलसचिव, मोहम लाल सुताक्रिया विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
16. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
17. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुलसचिव, व दीनदयाल उपाध्याय शैक्षणिक विश्वविद्यालय, सीकर।
19. कुलसचिव, महाराजा सुवर्णमल कृष्ण विश्वविद्यालय, भरतपुर।
20. कुलसचिव, राजश्री भर्तृहरि मल्ल विश्वविद्यालय, अजमेर।
21. कुलसचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
22. कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय
23. कुलसचिव, डीम्ड विश्वविद्यालय
24. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
25. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
26. संयुक्त निदेशक, निजी संस्था, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
27. मुख्य लेखाधिकारी एवं प्रभारी छात्रवृत्ति, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
28. परिष्क लेखाधिकारी, (शिक्षा घुप-5) विभाग, सचिवालय।
29. समन्वयक, पीटीईटी परीक्षा 2018, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
30. समन्वयक, एमपीईटी परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
31. समन्वयक, प्री-सी पी.एच व प्री-एम.पी.एच परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
32. समन्वयक, पीएसएसटी परीक्षा 2018, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
33. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर-वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(नोट:- प्रवेश परीक्षाओं की समन्वयक संस्थाओं को सूचित एवं ज्ञप्त है कि अवकाश की प्राप्ति वेबसाइट पर अपलोड करवाये तथा एनसीटीई के विनिर्घन 2002 व संशोधन 2010 के दिव्य संख्या 9(1) (iv) के अनुसार सत्र 2018-19 के लिए निर्धारित शुल्क के मन्तव्य का समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाये।)


संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा

क्रमांक F.24(Fcc)बी.ए/साक्षात्/2018/206

दिनांक 23-03-2018

प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
उपरोक्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।

31-3-18
23-3-18
संयुक्त निदेशक (निजी संस्थान)
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा
राज. जयपुर